सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं33/2006 स्व मोहनसिंह के का.मु.–पुनमसिंह वगैरा बनाम फतेहसिंह वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955

दिनांक 05.07.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। हमने, लोक अदालत की मंशा के अनुरूप सुलभ न्याय दिलाने हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य–दस्तावेजात इत्यादि पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि सरहद मौजा पराखिया पटवार सर्कल नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 524, 560, 561, 562, 497, 512, 513 के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को विचारार्थ मूल राजस्व वाद सं. 15/2006 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पराखिया पटवार सर्कल नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 524, 560, 561, 562, 497, 512, 513 के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को विचारार्थ मूल राजस्व वाद सं. 15/2006 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे। यह आदेश बरोज आज दिनांक 05.07.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 15/2006 के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner